



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 1 जुलाई, 2024

आषाढ 10, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 217/79-वि-1-2024-2-क-8-2024

लखनऊ, 1 जुलाई, 2024

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश विशेष विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2024) जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विशेष विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2024

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2024)

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य की विधियों को अद्यतन करने के आशय से, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करने वाले भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की अधिसूचना के दृष्टिगत कतिपय अधिनियमितियों का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश विशेष विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2024 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह दिनांक 1 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त होगा।

कतिपय
अधिनियमितियों
का संशोधन
व्यावृत्ति

2-अनुसूची के स्तम्भ (4) में उल्लिखित अधिनियमितियों को उनके स्तम्भ (5) में उल्लिखित सीमा तक और तरीके से संशोधित किया गया है।

3-इस अध्यादेश द्वारा किसी अधिनियमिति के संशोधन से ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें संशोधित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो;

और यह अध्यादेश पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं करेगा;

और न तो यह अधिनियम इस बात के होते हुए कि कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित करेगा कि एतद्वारा संशोधित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;

और न तो इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति में किया गया संशोधन, कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित करेगा।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

क्रम संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1910	4	संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910	(क) धारा 34 में,— उप-धारा (1) के खंड (ग) में, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता की धारा 482 से 489 (दोनों सहित)", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 345 से 350 (दोनों सहित)" रख दिये जायेंगे।
				(ख) धारा 49 में,— उप-धारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय बारह" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023, का अध्याय बारह" रख दिये जायेंगे।
				(ग) धारा 54 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973", के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे।
				(घ) धारा 55 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे।
				(ड.) धारा 60 क में,— स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की क्रमशः धारा 319 और 320", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की क्रमशः धारा 114 और 116" रख दिये जायेंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(च) धारा 69 में,— दूसरे परंतुक खंड में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय इक्कीस”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) का अध्याय बाईस” रख दिये जायेंगे।
				(छ) धारा 69—क में,— उपधारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे बन्धपत्र से सम्बद्ध समस्त विषयों पर लागू होंगे मानों कि यह बन्ध—पत्र शान्ति बनाये रखने के लिये उक्त संहिता की धारा 106 के अधीन दिये गये आदेश से निष्पादित बन्धपत्र हो” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे बन्धपत्र से सम्बद्ध समस्त विषयों पर लागू होंगे मानों कि यह बन्धपत्र शान्ति बनाये रखने के लिये उक्त संहिता की धारा 125 के अधीन दिये गये आदेश से निष्पादित बन्ध—पत्र हो” रख दिये जायेंगे।
				(ज) धारा 69—ख में,— शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 116”, के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 56” रख दिये जायेंगे।
				(झ) धारा 71—क में,— शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 और 308 के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे (जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा 306 में उल्लिखित अपराधों के संबंध में लागू होते हैं।”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 343 और 345 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 343 में उल्लिखित अपराधों के संबंध में लागू होते हैं” रख दिये जायेंगे।
2	1916	11	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916	धारा 13घ में, — (एक) खण्ड (झ) के उपखण्ड (दो) में शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171ड के अधीन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध अथवा धारा 171—च के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो; या” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 173 के अधीन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध अथवा धारा 174 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो; या” रख दिये जायेंगे; (दो) खण्ड (ज) में, शब्द, अंक और प्रतीक “या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 109 या 110 के अधीन की गयी कार्यवाहियों के फलस्वरूप सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “या भारतीय नागरिक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 128 और 129 के अधीन की गयी कार्यवाहियों के फलस्वरूप सदाचार के लिये बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो" रख दिये जायेंगे।
				(ख) धारा 28 में, - खंड (चार) में, शब्द "भारतीय दंड संहिता" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे।
				(ग) धारा 82 में, - उप-धारा (1) में, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता की धारा 168" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 202" रख दिये जायेंगे।
				(घ) धारा 83 में, - उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता की धारा 168", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 202" रख दिये जायेंगे।
				(ङ) धारा 84 में, - शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या पैतालिस सन् 1860)" के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) रख दिये जायेंगे।
3	1938	8	संयुक्त प्रांत बंदियों को परिवीक्षा पर छोड़ना अधिनियम, 1938	(क) धारा 2 में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया, 1898 (अधिनियम संख्या पांच सन् 1898) की धारा 401, के स्थान पर शब्द अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 473" रख दिये जायेंगे। (दो)स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक और प्रतीक "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 8 के अधीन प्रतिभूति देने में" के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) के अधीन प्रतिभूति देने में" रख दिये जायेंगे।
				(ख) धारा 7 में,- उप-धारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ज)" के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज)" रख दिये जायेंगे।
				(ग) धारा 8 में,- (एक) उप-धारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (अधिनियम संख्या पाँच सन् 1898) की धारा 126, 126-क, 514, 514-क, 514-ख और 515" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 489, 143, 491, 493, 494, 495" रख दिये जायेंगे। (दो) उपधारा 2 के परंतुक में, शब्द, अंक और प्रतीक, "उक्त संहिता की धारा 126-क या 514-क", के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 143 या 493", रख दिये जायेंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	1939	10	संयुक्त प्रांत [भारतीय चिकित्सा] अधिनियम, 1939	(क) धारा 24 में, — उप-धारा (5) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा का खण्ड (28)" रख दिये जायेंगे।
				(ख) धारा 39 में, — उप-धारा (4) के खंड (ग) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 47 सन् 2023) की धारा 39" रख दिये जायेंगे।
				(ग) धारा 41 में,— उपधारा (1) में शब्द, अंक और प्रतीक "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे।
5	1939	17	संयुक्त प्रांत किरायेदारी अधिनियम, 1939	(क) धारा 240 में, — (एक) उप-धारा (1) में शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता की (यू.पी. अधिनियम संख्या 111 सन् 1926, अधिनियम संख्या बाईस सन् 1886) की धारा 441" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)" की धारा 329 की उप-धारा (1)" रख दिये जायेंगे। (दो) उप-धारा (2) में शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या पैतालीस सन् 1800) की धारा 441" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 329 की उप-धारा (1)" रख दिये जायेंगे।
6	1947	28	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगडों का ऐक्ट, 1947	(क) धारा 5-ग में, — उपधारा (3) में शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267" रख दिये जायेंगे।
				(ख) धारा 11-घ में, — शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता की धारा 21" के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)" रख दिये जायेंगे।
				(ग) धारा 11-ड. में, — शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 और 482", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 384 और 385" रख दिये जायेंगे।
				(घ) धारा 15 में, — शब्द, अंक और प्रतीक "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की दूसरी अनुसूची" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की पहली अनुसूची" रख दिये जायेंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ड) धारा 21 में,— उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872" के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 47 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे।
7	1948	45	संयुक्त प्रांतीय मछली एक्ट, 1948	धारा 6 में, — उपधारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898" के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे।
8	1952	8	उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1952	(क) धारा 28 में,— उप-धारा (5) में, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता की धारा 21" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28) रख दिये जायेंगे।
				(ख) धारा 46 में, — उप-धारा (4) के खंड (ग) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023" (अधिनियम संख्या 47 सन् 2023) की धारा 39" रख दिये जायेंगे।
				(ग) धारा 47 में, — शब्द, अंक और प्रतीक, "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1898)" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे।
9	1952	33	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952	धारा 6 में,— उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)" की धारा 2 के खंड (28)" रख दिए जायेंगे।
10	1953	5	उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953	(क) धारा 39 में,— उप-धारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 175 और 176" के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 210 और 211" रख दिए जायेंगे।
				(ग) धारा 40 में, — शब्द, अंक और प्रतीक, "धारा 193 और 228 और भारतीय दंड संहिता की धारा 197 के प्रयोजन के लिए", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "धारा 229 और 267 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 234 के प्रयोजन के लिए" रख दिए जायेंगे।
				(घ) धारा 46 में,— उप-धारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक, " भारतीय दंड संहिता की धारा 434", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक " भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 326 के खंड (ड.)" रख दिए जायेंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	1955	23	उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, 1955	धारा 6 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 21”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023, (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
12	1956	1	उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1956	(क) धारा 5 क में,— उपधारा (11) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
				(ख) धारा 7 क में,— (एक) उपधारा (1) में शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे। (दो) उपधारा (2) में शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
				(ग) धारा 9 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
13	1958	34	उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958	(क) धारा 7 में, — उप-धारा (2-घ) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 445, 446, 447 और 449”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 490, 491, 493 और 495” रख दिए जाएंगे।
				(ख) धारा 13 में, — शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 32”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 26” रख दिए जाएंगे।
14	1959	2	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959	(क) धारा 80 में, — उपधारा (1) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 171-ड. या धारा 171-च” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)” की धारा 173 या 174” रख दिए जाएंगे।
				(ख) धारा 377 में, — शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 47 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
				(ग) धारा 417 में, — उप-धारा (1) के खंड (घ) में शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 176” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 196” रख दिए जाएंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(घ) धारा 461 में, – (एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द “दंड संहिता” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “(अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे। (दो) उप-धारा (1) में, शब्द “भारतीय दंड संहिता” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे और शब्द “संहिता” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे और अंक “277, 188 और 177” के स्थान पर क्रमशः अंक “279, 223 और 212” रख दिए जाएंगे। (तीन) उप-धारा (2) में शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 176 या धारा 177” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 211 या धारा 212” रख दी जायेगी।</p>
				<p>(ङ.) धारा 463 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 168” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 202” रख दिये जायेंगे।</p>
				<p>(च) धारा 483 में, – खंड (ग) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 और धारा 196 के प्रयोजनार्थ” शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267 तथा धारा 233 के प्रयोजनार्थ” रख दिये जायेंगे।</p>
				<p>(छ) धारा 487 में, – उप-धारा (1) में शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 17” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिये जायेंगे।</p>
				<p>(ज) धारा 490 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 273” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक पर “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 275” रख दिये जायेंगे।</p>
				<p>(झ) धारा 492 में, – (एक) उपधारा (2) में शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1898” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिये जायेंगे। (दो) उप-धारा (3) में शब्द, अंक और प्रतीक, “उक्त संहिता की धारा 200” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिये जायेंगे।</p>
				<p>(ञ) धारा 502 में, – (एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द “दण्ड प्रक्रिया संहिता” के स्थान पर शब्द “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिये जायेंगे। (दो) शब्द और प्रतीक “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिये जायेंगे।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ट) धारा 565 में, – (एक) उपधारा (1) में शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (2) रख दिये जायेंगे। (2) उप-धारा (दो) में शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता की धारा 161” शब्द, अंक और प्रतीक “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के उपबन्धों के अनुसार” रख दिये जायेंगे।
15	1960	10	उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960	धारा 34 में,– शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड 28” रख दिये जायेंगे।
16	1961	1	उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1960	धारा 27 में, – (एक) उपधारा (6-च) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिये जायेंगे। (दो) उपधारा (6-छ) में, शब्द, अंक और प्रतीक “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिये जायेंगे।
17	1961	18	उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) अधिनियम, 1961	धारा 4 में,– शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)” की धारा 2 का खण्ड (28) रख दिये जायेंगे।
18	1962	18	उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962	(क) धारा 37 में,– शब्द, अंक और प्रतीक, “अधिनियम पैतालीस सन् 1860” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “अधिनियम संख्या 45 सन् 2023” रख दिये जायेंगे और शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28) रख दिये जायेंगे। (क) धारा 38 में,– शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता की धारा 21” के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)” रख दिये जायेंगे।
19	1962	26	उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962	धारा 31 में,– शब्द और अंक “भारतीय दंड संहिता की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिये जायेंगे।
20	1963	16	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963	धारा 24 में,– शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 और उक्त संहिता की धारा 196 के प्रयोजनार्थ भी”, शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 233 के प्रयोजनार्थ भी” रख दिये जायेंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	1964	25	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964	(क) धारा 26 में, — शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता की धारा 21" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023, का (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)" रख दिये जायेंगे।
				(ख) धारा 36 में, — (एक) उपधारा (1) के खंड (घ) में, शब्द, अंक और प्रतीक के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457, 458 और 459 के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 503, 504 और 505" को रख दिये जायेंगे। (दो) उपधारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100" के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 103" रख दिये जायेंगे।
22	1964	24	उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964	(क) धारा 13 में, — उपधारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे;
				(ख) धारा 14 में, — (एक) उपधारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे। (दो) उपधारा (4) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का अध्याय चौदह", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का अध्याय तेरह" (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे।
23	1965	14	उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965	धारा 20 में, — शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खण्ड (28) रख दिये जायेंगे।
24	1973	10	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973	(क) धारा 8 में,— उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अधिनियम संख्या 46 सन् 2023" की धारा 384 और 385" तथा शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 229 और 267 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे।
				(ख) धारा 40 में, — उपधारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 और 482", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 384 और 385" और शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				संहिता की धारा 193 और 228" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)" की धारा 229 एवं 267 रख दिये जायेंगे।
25	1973	11	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973	(क) धारा 26—ख में, — उप-धारा (4) में, शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267 रख दिये जायेंगे।
				(ख) धारा 47 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता की धारा 21", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)" रख दिये जायेंगे।
26	1975	43	उत्तर प्रदेश जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975	धारा 86 में,— उप-धारा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा रख दी जायेगी, अर्थात:— "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 39 की उपधारा (2) और (3) और धारा 40, 45, 57, 58, 59 और 60 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित उप-धारा (1) के अधीन की गई किसी भी गिरफ्तारी के संबंध में लागू होते हैं जैसे वे धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन की गई गिरफ्तारी पर लागू होते हैं।
27	1976	3	उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976	(क) धारा 5 में, — उप-धारा (2) में, शब्दों, अंकों और प्रतीकों के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय XXXIV", शब्दों, अंकों और प्रतीकों के स्थान पर, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का अध्याय XXXVI (अधिनियम संख्या 2023 का 46)" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
				(ख) धारा 8 में,— उप-धारा (1) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय बारह", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" का अध्याय छत्तीस रख दिये जायेंगे; (दो) उप-धारा (2) में, शब्द "उक्त संहिता" के स्थान पर शब्द, "उक्त संहिता" रख दिये जायेंगे।
28	1976	4	उत्तर प्रदेश विभागीय जॉच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976	धारा 4 में, — (एक) उप-धारा (1) के खंड (ग) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगी लेकिन उसकी धारा 162 लागू नहीं होगी", के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 47 सन् 2023) की धारा 129 और 130 यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगी लेकिन उसकी धारा 165 लागू नहीं होगी" रख दिये जायेंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(दो) उप-धारा (6) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 384 एवं 385 रख दी जायेगी।
29	1976	17	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976	धारा 5 में,— (एक) उपधारा 5 के खंड (घ) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 47 सन् 2023) की धारा 129 और 130 रख दिये जायेंगे। (दो) उपधारा (9) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 219 और 228", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)" की धारा 229, 257 और 267 रख दी जायेगी।
30	1976	45	उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976	धारा 18 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता की धारा 21", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)" रख दिये जायेंगे।
31	1978	5	उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978	धारा 4 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय छब्बीस", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 215 और अध्याय अड़तीस रख दिये जायेंगे।
32	1983	30	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983	धारा 34 में,— उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक के लिए, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" की धारा 384 और 385 रख दिये जायेंगे और शब्द, अंक और प्रतीक और "भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)" की धारा 229 और 267 रख दी जायेगी।
33	1983	29	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983	(क) धारा 36 में, — शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता की धारा 21" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)" रख दिये जायेंगे;
				(ख) धारा 41 में, — उपधारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" रख दिये जायेंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	1984	12	उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1984	धारा 17—में, (एक) उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176," के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 210 एवं 211," रख दी जायेगी। (दो) उप-धारा (4) में शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973", (अधिनियम संख्या दो सन् 1974) के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" और शब्द, अंक तथा प्रतीक, "उक्त संहिता की धारा 94", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" की धारा 97 रख दी जायेगी।
35	1986	9	उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986	(क) धारा 23 में, — स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)" रख दिये जायेंगे। (ख) धारा 45 में, — शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)" रख दिये जायेंगे।
36	1994	22	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994	(क) धारा 14 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता की धारा 21", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)" रख दिये जायेंगे। (ख) धारा 15 में, — शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 208, 210, 211, 213, 214 अथवा 215" रख दी जायेगी।
37	1995	22	उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995	धारा 21 में,— शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय दंड संहिता की धारा 21" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)" रख दिये जायेंगे।
38	1966	1	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965	(क) धारा 64 में, — उप-धारा (4) में, शब्द, अंक और प्रतीक, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 और 482", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)" और शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860)", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267" रख दिये जायेंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ख) धारा 86 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 21”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)” रख दिये जायेंगे।
39	1996	1	उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1996	(क) धारा 16 में, – शब्द और अंक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 21”,के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)” रख दिये जायेंगे;-
				(ख) धारा 18 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180,” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023” (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)” की धारा 208, 210, 211, 213, 214, या 215 रख दी जायेंगी।
40	2000	23	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000	धारा 25 में,— उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 384 और 385, रख दी जायेगी, और शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228”, के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267” रख दी जायेंगी।
41	2000	29	उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा उपयोग और निस्तारण का (विनियमन) अधिनियम, 2000	(क) धारा 6-क में, – उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात:- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस धारा के तहत किसी भी तलाशी या अधिग्रहण पर लागू होंगे जैसे वे “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023” (अधिनियम संख्या 4 सन् 2023) की धारा 97 के अधीन जारी वारण्ट के अधिकार के अधीन की गयी किसी भी खोज या जब्ती पर लागू होते हैं।
				(ख) धारा 11 में, – उप-धारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक “धारा 262 से 265 दोनों दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को सम्मिलित करते हुए”, शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम क्रमांक 46 सन् 2023) रख दी जायेगी।
42	2002	5	उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002	धारा 40 में,— शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड 28” रख दिये जायेंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	2002	8	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002	धारा 13 में,— उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक के लिए “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 384 और 385” रख दिए जाएंगे और शब्द, अंक तथा प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267” रख दिये जायेंगे।
44	2004	29	उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004	धारा 19 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
45	2005	20	उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	(क) धारा 39 में, — उप-धारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 223” रख दिए जाएंगे।
				(ख) धारा 45 में, — शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
46	2012	8	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006	(क) धारा 65 में, — (एक) उपधारा (6) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे। (दो) उपधारा (7) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे। (तीन) उप-धारा (8) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974)” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
				(ख) धारा 114 में, — स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, धारा 304, धारा 304—ख, धारा 305 या धारा 306” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 103, धारा 105, धारा 80, धारा 107 या धारा 108” रख दिए जाएंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ग) धारा 227 में, – उपधारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
47	2009	4	उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009	(क) धारा 34 में, – उपधारा (5) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
				(ख) धारा 37 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
48	2010	16	उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010	धारा 25 में, – उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात: – “(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति के लिए उक्त संहिता की धारा 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम की सुसंगत धारा में यथाउपबंधित कारावास या जुर्माना या दोनों का दण्डादेश पारित करे।
49	2011	11	उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011	धारा 32 में, – शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता की धारा 21” के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
50	2013	22	उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013	धारा 46 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
51	2014	5	उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन एवं नियामक आयोग अधिनियम, 2014	धारा 20 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 44 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
52	2015	5	उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2015	धारा 37 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 का खंड (28)” रख दिए जाएंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	2016	15	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015	धारा 8 में,— उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक के लिए, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 384 और 385” रख दिए जाएंगे और शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023)की धारा 229 और 267” रख दिए जाएंगे।
54	2016	11	उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016	धारा 8 में,— उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” की धारा 384 और 385 रख दिए जाएंगे और शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267” रख दिए जाएंगे।
55	2016	16	उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 2016	धारा 14 में,— उपधारा (1) में, शब्द, अंक और प्रतीक “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
56	2018	31	श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड वाराणसी अधिनियम, 2018	धारा 24 में,— शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
57	2018	42	अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2018	(क) धारा 9 में, — उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 384 और 385” रख दिए जाएंगे और शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023(अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267” रख दिए जाएंगे।
				(ख) धारा 52 में, — शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 21”के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
58	2018	41	डा० राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2015	धारा 41 में, – उपधारा (3) में शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 384 और 385” रख दिए जाएंगे और शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267” रख दिए जाएंगे।
59	2019	13	उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019	धारा 22 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
60	2020	6	महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर अधिनियम, 2020	(क) धारा 9 में, – उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 384 और 385” रख दिए जाएंगे और शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228” के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267” रख दिए जाएंगे।
				(ख) धारा 52 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता की धारा 21” के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
61	2020	17	उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020	(क) धारा 2 में,— उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (2) रख दी जाएगी, अर्थात:— “(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु भारतीय न्याय संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023), महामारी रोग अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो ऐसे अधिनियमों में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।”
				(ख) धारा 10 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974)” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
				(ग) धारा 22 में, – उप-धारा 2 में, शब्द, अंक और प्रतीक, “आईपीसी की धारा 320” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 116” रख दिए जाएंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(घ) धारा 30 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974)” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023)” रख दिए जाएंगे।
62	2021	28	उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2021	धारा 38 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) अधिनियम की धारा 2 के खंड (28)” रख दिये जाएंगे।
63	2021	29	उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2021	धारा 38 में,— शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
64	2022	16	उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022	(क) धारा 35 में, – शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 176” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 211” रख दिए जाएंगे।
				(ख) धारा 62 में, – शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
65	2022	17	उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2022	धारा 38 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
66	2022	2	भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022	(क) धारा 8 में,— उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 345 और 346” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 384 और 385” रख दिए जाएंगे और शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193 और 228” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267” रख दिए जाएंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ख) धारा 38 में,— उप-धारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 480 और 482” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 526 और 528” रख दिए जाएंगे और शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193 और 228” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 229 और 267” रख दिए जाएंगे।
67	2023	22	उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023	धारा 36 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
68	2023	23	उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2023	धारा 38 में,— शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
69	2023	24	उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2023	धारा 38 में,— शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
70	2023	25	उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2023	धारा 38 में,— शब्द, अंक और प्रतीक “भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28)” रख दिए जाएंगे।
71	2024	12	उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2024	धारा 12 में,— उप-धारा (5) में, शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 176” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक, “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 211” रख दिए जाएंगे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 217(2)/LXXIX-V-1-2024-2-ka-8-2024

Dated Lucknow, July 1, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vishesh Vidhiyan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 8 of 2024) promulgated by the Governor. The grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Ordinance.

**THE UTTAR PRADESH VISHESH VIDHIYAN
(SANSHODHAN) ADHYADESH, 2024**

(U.P. ORDINANCE NO. 8 OF 2024)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-fifth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend certain enactments in view of the notification of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 which seek to replace the Indian Penal Code, 1860, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872, with the intent of updating the laws of the State of Uttar Pradesh.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

- | | |
|---|---|
| <p>1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Vishesh Vidhiyan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024.</p> <p>(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) It shall come into force on 1st day of July 2024.</p> | <p>Short title,
extent and
commencement</p> |
| <p>2. The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.</p> | <p>Amendment of
certain
enactments</p> |
| <p>3. The amendment by this Ordinance of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended enactment has been applied, incorporated or referred to;</p> <p>and this Ordinance shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;</p> <p>nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended;</p> <p>nor shall the amendment by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.</p> | <p>Savings</p> |

THE SCHEDULE**(See section 2)**

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1910	4	THE UNITED PROVINCES EXCISE ACT, 1910	(A) In section 34,- in clause (c) of sub-section (1), for the words, figures and symbols, "sections 482 to 489 (both inclusive) of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols, "sections 345 to 350 (both inclusive) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 49,- in sub-section (2), for the words, figures and symbols, "Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols, "Chapter XIII of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(C) In section 54,- for the words, figures and symbols, "the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols, "the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(D) In section 55,- for the words, figures and symbols, "the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols, "the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(E) In section 60 A,- in <i>Explanation</i> for the words, figures and symbols, "section 319 and 320 respectively of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)", the words, figures and symbols, "sections 114 and 116 respectively of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(F) In section 69,- In the second proviso clause, for the words, figures and symbols, "Chapter XXI of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols, "Chapter XXII of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(G) In section 69-A,- in sub-section (2) for the words, figures and symbols, "The Provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall <i>mutatis-mutandis</i> apply to all matters connected with such bond as if it were a bond to keep the peace ordered to be executed under section 106 of the said Code", the words, figures and symbols, "The Provisions of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023) shall <i>mutatis-mutandis</i> apply to all matters connected with such bond as if it were a bond to keep the peace ordered to be executed under section 125 of the said Sanhita", shall be <i>substituted</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(H) In section 69-B,- for the words, figures and symbols, "section 116 the Indian Penal Code, 1860", the words, figures and symbols, "section 56 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(I) In section 71-A,- for the words, figures and symbols, "The provisions of sections 306 and 308 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall apply in relation to offences punishable under this Act as they apply in relations to offences mentioned in section 306 of the said Code", the words, figures and symbols, "The provisions of sections 343 and 345 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023) shall apply in relation to offences mentioned in section 343 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)", shall be <i>substituted</i> .
2	1916	11	THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916	(A) In section 13 D,- (i) in sub-clause (ii) of clause (i), for the words, figures and symbols "has been convicted of any offence punishable with imprisonment under section 171-E or an offence punishable under section 171-F of the Indian Penal Code, 1860 or" the words, figures and symbols "has been convicted of any offence punishable with imprisonment under section 173 or an offence punishable under section 174 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023); or" shall be <i>substituted</i> ; (ii) in clause (j), for the words, figure and symbol " or had been ordered to execute a bond for good behaviour in consequence of proceedings under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words, figures and symbol "or had been ordered to execute a bond for good behaviour in consequence of proceedings under section 128 or 129 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 28, — in clause (iv), for the words," Indian Penal Code" the words, figures and symbols "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(C) In section 82, — in sub-section (1),for the words, figure and symbol"section 168 of the Indian Penal Code "the words, figure and symbol "section 202 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(D) In section 83, — in sub-section (3), for the words, figure and symbol "section 168 of the Indian Penal Code", the

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				words, figure and symbol "section 202 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(E) In section 84, — for the words, figure and symbol " Indian Penal Code (Act No. XLV of 1860)", the words, figure and symbols "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
3	1938	8	THE UNITED PROVINCES PRISONERS RELEASE ON PROBATION ACT, 1938	(A) In section 2, (i) for the words, figures and symbol, "section 401 of the Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), the words figures and symbol, "section 473 of the Bhartiya Nagarik Surksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023) shall be <i>substituted</i> . (ii) in Explanation, for the words, figures and symbols "furnish security under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words, figures and symbols "furnish security under Chapter IX of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 7,- in sub-section (2), for the words, figures and symbols, "clause (i) of sub-section (1) of section 4 of the Code of Criminal Procedure, 1898," the words, figures and symbols, "clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(C) In section 8,- (i) in sub-section (2), for the words, figures and symbols, "sections 126, 126-A, 514, 514-A, 514-B and 515 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)," the words, figures and symbols "sections 489, 143, 491, 493, 494, 495 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> . (ii) in proviso of sub-section 2 for the words, figures and symbols, "section 126-A or 514-A of the said Code", the words figures and symbols, "section 143 or 493 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
4	1939	10	THE UNITED PROVINCES (INDIAN MEDICINE) ACT, 1939	(A) In section 24,- in sub-section (5), for the words, figures and symbols, "section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols, "clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(Act no.45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 39,- in clause (c) of sub-section (4), for the words, figures and symbols, "section 45 of the Indian Evidence Act, 1872", the words, figures and symbols, "section 39 of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Act no. 47 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(C) In section 41,- in sub-section (1), for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1898”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
5	1939	17	THE UNITED PROVINCES TENANCY ACT, 1939	(A) In section 240, - (i) in sub-section (1) for the words, figures and symbols, “section 441 of the Indian Penal Code. (U.P. III of 1926, XXII of 1886),” the words, figures and symbols, “sub-section (1) of section 329 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> ; (ii) in sub-section (2) for the words, figures and symbols, “section 441 of the Indian Penal Code. (XLV of 1800),” the words, figures and symbols, “sub-section (1) of section 329 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023(Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
6	1947	28	THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947	(A) In section 5-C, - in sub-section (3), for the words, figures and symbols “sections 193 and 228 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols “sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(B) in section 11-D, - for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(C) In section 11-E, - for the words, figures and symbols, “section 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898”, the words, figures and symbols “section 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(D) In section 15, - for the words, figures and symbols, “Second Schedule to the Code of Criminal Procedure, 1898”, the words, figures and symbols, “First Schedule to the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(E) In section 21, - In sub-section (3) for the words, figures and symbols, “Indian Evidence Act, 1872”, the words, figures and symbols, “Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Act No. 47 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
7	1948	45	THE UNITED PROVINCES FISHRIES ACT, 1948	In section 6, - in sub-section (3), for the words, figures and symbols, “Code of Criminal Procedure, 1898” the words, figures and symbols, “Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	1952	8	THE UTTAR PRADESH HOMEOPATHIC MEDICINE ACT,1952	(A) In section 28,- in sub-section (5), for the words, figures and symbols, "section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols, "clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023(U.P. Act no.45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(B) In Section 46,- in clause (c) of sub-section (4),for the words, figures and symbols, "section 45 of the Indian Evidence Act, 1872", the words, figures and symbols, "section 39 of the Bhartiya SakshyaAdhiniyam, 2023(Act no. 47 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(C) In section 47,- for the words, figures and symbols, "the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act no. 5 of 1898)", the words, figures and symbols, "the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023(Act no. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
9	1952	33	THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1952	In section 6 ,- in sub-section (3), for the words, figures and symbols, "section 21 of the Indian Penal Code, 1860", the words, figures and symbols, "clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i>
10	1953	5	THE UTTAR PRADESH CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1953	(A) In section 39,- In sub-section (2), for the words, figures and symbols, "sections 175 and 176 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)", the words, figures and symbols, "sections 210 and 211 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 40,- for the words, figures and symbols, "section 193 and 228 and for purpose of section 197 the Indian Penal Code", the words, figures and symbols, "sections 229 and 267 and for purpose of section 234 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(C) In section 46,- in sub-section (2), for the words, figures and symbols, "section 434 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols, "clause (e) of section 326 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
11	1955	23	THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL HOUSING ACT, 1955	In section 6,- for the words, figures and symbols, "section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols, "clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i>
12	1956	1	THE UTTAR PRADESH PREVENTION OF COW SLAUGHTER ACT, 1956	(A) In section 5A,- in sub-section (11), for the words, figures and symbols, "the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols,"the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(B) In section 7A,-</p> <p>(i) in sub-section (1) for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i>;</p> <p>(ii) in sub-section (2) for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p>
				<p>(C) In section 9,-</p> <p>for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p>
13	1958	34	THE UTTAR PRADESH (REGULATIONS OF BUILDING OPERATIONS) ACT, 1958	<p>(A) In section 7, -</p> <p>in sub-section (2-D), for the words, figures and symbols, “sections 445, 446, 447 and 449 of the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “sections 490, 491, 493 and 495 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p>
				<p>(B) In section 13, -</p> <p>for the words, figures and symbols, “section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1898”, the words, figures and symbols, “section 26 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p>
14	1959	2	THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1959	<p>(A) In section 80, —</p> <p>in sub-section (1), for the words, figures and symbols “section 171-E or section 171-F of the Indian Penal Code, 1860” the words, figures and symbols “section 173 or section 174 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p>
				<p>(B) In section 377, —</p> <p>for the words, figure and symbol “Indian Evidence Act, 1872” the words, figure and symbol “Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023 (Act No. 47 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p>
				<p>(C) In section 417, —</p> <p>In clause (d) of sub-section (1) for the words, figures and symbols “section 176 of the Code of Criminal Procedure, 1898” the words, figures and symbols “Section 196 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(D) In section 461, —</p> <p>(i) in the marginal heading, for the words "Penal Code" the words, figures and symbols " (Act no. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i>;</p> <p>(ii) in sub-section (1) for the words" Indian Penal Code", the words, figures and symbols "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> and for the word "Code" the words, figures and symbols "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> and for the figures "277, 188 and 177", the figures " 279, 223 and 212" respectively shall be <i>substituted</i>.</p> <p>(iii) in sub-section (2) for the words, figures and symbols"section 176 or section 177 of the Indian Penal Code", the words, figure and symbol "section 211 or section 212 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i>.</p>
				<p>(E) In section 463, —</p> <p>for the words, figure and symbol "section 168 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols"section 202 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i>.</p>
				<p>(F) In section 483, —</p> <p>in clause (c), for the words, figure and symbols"sections 193 and 228 and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code" the words, figures and symbols"sections 229 and 267 and for the purposes of section 233 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i>.</p>
				<p>(G) In section 487, —</p> <p>in sub-section (1) for the words, figures and symbols"section 17 of the Code of Criminal Procedure, 1898" the words, figures and symbols "Chapter II of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i>.</p>
				<p>(H) In section 490, —</p> <p>for the words, figures and symbols"section 273 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols"section 275 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i>.</p>
				<p>(I) In section 492, —</p> <p>(i) in sub-section (2) for the words, figures and symbols "Code of Criminal Procedure, 1898" the words, figures and symbols "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i>;</p> <p>(ii) in sub-section (3) for the words, figures and symbols"section 200 of the said Code" the words, figures and symbols"section 223 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i>.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(J) In section 502, —</p> <p>(i) in the marginal heading for the words “Criminal Procedure Code”, the words, figures and symbols “Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p> <p>(ii) for the words, figures and symbols “Code of Criminal Procedure, 1898”, the words, figures and symbols “Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p>
				<p>(K) In section 565, —</p> <p>(i) in sub-section (1) for the words, figures and symbols “section 21 of the Indian Penal Code” the words, figures and symbols “clause (2) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p> <p>(ii) in sub-section (ii) for the words, figures and symbols “section 161 of the Indian Penal Code” the words, figures and symbol “as per the provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988” shall be <i>substituted</i>.</p>
15	1960	10	THE UTTAR PRADESH KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD ACT, 1960	<p>In section 34,-</p> <p>for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code, 1860”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p>
16	1960	1	THE UTTAR PRADESH IMPOSITION OF CEILING ON LAND HOLDINGS ACT, 1960	<p>In section 27, -</p> <p>(i) in sub-section (6-F), for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i>;</p> <p>(ii) in sub-section (6-G), for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023(Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p>
17	1961	18	THE U. P. INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS (NATIONAL HOLIDAYS) ACT, 1961	<p>In section 4,-</p> <p>for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code, 1860”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i>.</p>
18	1962	18	THE UTTAR PRADESH SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) ACT, 1962	<p>(A) In section 37,—</p> <p>for the words, figures and symbols " Act XLV of 1860", the words, figures and symbol " Act no. 45 of 2023" shall be <i>substituted</i> and for the words, figures and symbols "section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbol " clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i>.</p>
				<p>(b) In section 38,—</p> <p>for the words, figure and symbol " section 21 of</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				the Indian Penal Code", the words, figures and symbol "clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
19	1962	26	THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISHTHAN ADHINIYAM, 1962	In section 31,— for the words, and figure "section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols "clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
20	1963	16	THE UTTAR PRADESH BHOOMI EVAM JAL SANRAKSHAN ADHINIYAM, 1963	In section 24,- for the words, figures and symbols "section 193 and 228 of the Indian Penal Code and also for the purposes of section 196 of the said Code", the words, figures and symbols "section 229 and 267 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023) and also for the purposes of section 233 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be <i>substituted</i> .
21	1964	25	THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI ADHINIYAM, 1964	(A) In section 26, — for the words, figures and symbols "section 21 of the Indian Penal Code" the words, figures and symbols "clause(28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 36, — (i) in clause (d) of sub-section (1), for the words, figures and symbols "sections 457, 458 and 459 of the Code of Criminal Procedure, 1973" the words, figures and symbols "section 503, 504 and 505 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> ; (ii) in sub-section (2), for the words, figure and symbol "section 100 of the Code of Criminal procedure, 1973", the words, figure and symbols "section 103 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
22	1964	24	THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN ADHINIYAM, 1964	(A) In section 13,- in sub-section (3), for the words, figures and symbols, "the Code of Criminal Procedure, 1898", the words, figures and symbols, "the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 14,- (i) in sub-section (2), for the words, figures and symbols, "the Code of Criminal Procedure, 1898", the words, figures and symbols, "the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> ; (ii) in sub-section (4), for the words, figures and symbols, "Chapter XIV of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words, figures and symbols, "Chapter XIII of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	1965	14	THE UTTAR PRADESH LABOUR WELFARE FUND ACT, 1965	In section 20, — for the words, figures and symbols “section 21 of the Indian Penal Code 1860”, the words, figure and symbol “clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
24	1973	10	THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES ACT, 1973	(A) In section 8,— in sub-section (3), for the words, figure and symbols "sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbol "sections 384 and 385 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)" and for the words, figure and symbols "sections 193 and 228 of the Indian Penal Code", the words, figure and symbols " sections 229 and 267 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 40,— in sub-section (3), for the words, figures and symbols " sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words, figures and symbols "sections 384 and 385 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" and for the words, figures and symbols "sections 193 and 228 of the Indian Penal Code” the words, figures and symbols "sections 229 and 267 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
25	1973	11	THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 1973 (PRESIDENT’S ACT)	(A) In section 26-B,- in sub-section (4), for the words, figures and symbols, “sections 193 and 228 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols, “sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 47,- for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols, “calause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
26	1975	43	THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE ACT, 1975	In section 86,— For sub-section (2), the following sub-section shall be <i>substituted</i> , namely:— “The provisions of sub-sections (2) and (3) of section 39 and of sections 40, 45, 57, 58, 59 and 60 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023), shall <i>mutatis mutandis</i> apply in relation to any arrest made under sub-section (1) as they apply to an arrest made under sub-section (1) of section 39 thereof.
27	1976	3	THE UTTAR PRADESH INTOXICATING	(A) In section 5,- in sub-section (2), for the words, figures and

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			LIQUOR (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENTS) ACT.	symbols, "Chapter XXXIV of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols, "Chapter XXXVI of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> ;
				(B) In section 8,- (i) in sub-section (1), for the words, figures and symbols, "Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols, "Chapter XIII of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> ; (ii) in sub-section (2), for the words, "said Code", the words "said Sanhita" shall be <i>substituted</i> .
28	1976	4	THE UTTAR PRADESH DEPARTMENTAL INQUIRIES (ENFORCEMENT OF ATTENDANCE OF WITNESSES AND PRODUCTION OF DOCUMENTS) ACT, 1976	In section 4, - (i) in clause (c) of sub-section (1), for the words, figures and symbols, "sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 shall <i>mutatis mutandis</i> apply but section 162 thereof shall not apply", the words, figures and symbols, "sections 129 and 130 of the Bhartiya Sakshya Adhinyam, 2023 (Act no. 47 of 2023) shall <i>mutatis mutandis</i> apply but section 165 thereof shall not apply" shall be <i>substituted</i> .
				(ii) in sub-section (6), for the words, figures and symbols, "sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols, "sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
29	1976	17	THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE (TRIBUNAL) ACT, 1976	In section 5,- (i) in clause (d) of sub-section 5, for the words, figures and symbols, "section 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872", the words, figures and symbols "section 129 and 130 of the Bhartiya Sakshya Adhinyam, 2023 (Act no. 47 of 2023)" shall be <i>substituted</i> ;
				(ii) in sub-section (9), for the words, figures and symbols, "sections 193, 219 and 228" of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols "sections 229, 257 and 267 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
30	1976	45	THE U.P. PROTECTION OF TREES IN RURAL AND HILL AREAS ACT, 1976	In section 18,- for the words, figures and symbols, "section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols "clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
31	1978	5	THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL PEACE (TIMELY	In section 4,- for the words, figures and symbols, "section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PAYMENT OF WAGES) ACT, 1978	Procedure, 1973.”, the words, figures and symbols “section 215 and Chapter XXXVIII of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
32	1983	30	THE SANJAY GANDHI POST-GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ACT, 1983	In section 34,- in sub-section (3), for the words, figures and symbols, “sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> and for the words, figures and symbols, “sections 193 and 228 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols, “sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
33	1983	29	THE UTTAR PRADESH SRI KASHI VISHWANATH TEMPLE ACT, 1983	(A) In section 36,— for the words, figures and symbols "section 21 of the Indian Penal Code" the words, figures and symbols "clause (28) of section 2 the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .;
				(B) In section 41,- in sub-section (2), for the words, figures and symbols "the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols “the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023) ” shall be <i>substituted</i> .
34	1984	12	THE UTTAR PRADESH LOCAL FUNDS AUDIT ACT, 1984	In section 17,- (i) in sub-section (3), for the words, figures and symbols, “section 175 and section 176 of the Indian Penal Code,” the words, figures and symbols, “sections 210 and 211 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> ; (ii) in sub-section (4) for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act II of 1974)”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 (Act No. 46 of 2023)” and for the words, figures and symbols, “section 94 of the said Code.”, the words, figures and symbols “section 97 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 (Act no. 46 of 2023).” shall be <i>substituted</i> .
35	1986	9	THE UTTAR PRADESH SPECIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITIES ACT, 1986	(A) In section 23, - in Explanation , for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code, 1860”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 45,- for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code, 1860”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	1994	22	THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR MINORITIES ACT, 1994	(A) In section 14,- for the words, figures and symbols, "section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols, "clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> . (B) In section 15,- for the words, figures and symbols, "sections 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of the Indian Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860)", the words, figures and symbols, "sections 208, 210, 211, 213, 214 or 215 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
37	1995	22	THE UTTAR PRADESH STATE COUNCIL OF HIGHER EDUCATION ACT, 1995	In section 21,— for the words, figures and symbols " section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols "clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
38	1966	1	THE UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD ADHINIYAM, 1965	(A) In section 64,- in sub-section (4), for the words, figures and symbols, "sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words, figures and symbols, "sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)" and for the words, figures and symbols, "sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)", the words, figures and symbols, "sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> . (B) In section 86,- for the words, figures and symbols, "section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols, "clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
39	1996	1	THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT,1996	(A) In section 16, - for the words and figure, "section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols, "clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> . (B) In section 18, - for the words, figures and symbols, "sections 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of the Indian Penal Code," the words, figures and symbols, "sections 208, 210, 211, 213, 214 or 215 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
40	2000	23	THE UTTAR PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2000	In section 25,- in sub-section (3), for the words, figures and symbols, "sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols, "sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be <i>substituted</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				and for the words, figures and symbols, “sections 193 and 228 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols,”sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
41	2000	29	THE UTTAR PRADESH PLASTIC AND OTHER NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (REGULATION) ACT, 2000	(A) In section 6-A, — for sub-section (4), the following sub-section shall be <i>substituted</i> , namely:— The provisions of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023), shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 97 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023).
				(B) In section 11, — in sub-section (2), for the words, figures and symbols " section 262 to 265 both inclusive of the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols “sections 285 to 288 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
42	2002	5	THE UTTAR PRADESH REGULATION OF COACHING ACT, 2002	In section 40,— for the words, figures and symbols " section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols "clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
43	2002	8	THE KING GEORGE’S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH ACT, 2002	In section 13,- in sub-section (3), for the words, figures and symbols, “sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> and for the words, figures and symbols, “sections 193 and 228 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols, “sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 (Act No. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
44	2004	29	THE UTTAR PRADESH BOARD OF MADARSA EDUCATION ACT, 2004	In section 19,- for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
45	2005	20	THE UTTAR PRADESH DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005	(A) In section 39, - in sub-section (2), for the words, figures and symbols, “section 200 of the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “section 223 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(B) In section 45,- for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
46	2012	8	THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE, 2006	(A) In section 65, - (i) in sub-section (6), for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> ; (ii) in sub-section (7), for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> . (iii) in sub-section (8), for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no 2 of 1974)”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 114, - in Explanation , for the words, figures and symbols, “section 302, section 304, section 304-B, section 305 or section 306 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols, “section 103, section 105, section 80, section 107 or section 108 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(C) In section 227, - in sub-section (2), for the words, figures and symbols, “the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
47	2009	4	THE UTTAR PRADESH PARTICIPATORY IRRIGATION MANAGEMENT ACT, 2009	(A) In section 34 ,- in sub-section (5), for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 37,- for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act No. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
48	2010	16	THE UTTAR PRADESH APARTMENT	In section 25,- for sub-section (2), the following sub-section shall be <i>substituted</i> , namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(PROMOTION OF CONSTRUCTION, OWNERSHIP AND MANAGEMENT) ACT, 2010	“(2) Notwithstanding anything contained in the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023), it shall be lawful for a Judicial Magistrate of the First Class to pass on any person convicted of an offence under this Act, a sentence of imprisonment or fine or both as provided in the relevant section of this Act, in exercise of powers under section 23 of the said Sanhita.”
49	2011	11	THE UTTAR PRADESH BOARD FOR DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FINANCIAL RESOURCES ACT, 2011	In section 32, — for the words, figure and symbol " section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbol "clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
50	2013	22	THE UTTAR PRADESH MADAN MOHAN MALAVIYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACT, 2013	In section 46,- for the words, figures and symbols, “Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872),” the words, figures and symbols, “Bhartiya Sakshya Adhinyam, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
51	2014	5	THE UTTAR PRADESH WATER MANAGEMENT AND REGULATORY COMMISSION ACT, 2014	In section 20, - for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 44 of 2023) shall be <i>substituted</i> .
52	2015	5	THE UTTAR PRADESH BRAJ TEERTH VIKAS PARISHAD ACT, 2015	In section 37,- for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023(Act No. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
53	2016	15	THE UTTAR PRADESH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH ACT, 2015	In Section 8,- in sub-section (3), for the words, figures and symbols, “sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> and for the words, figures and symbols, “sections 193 and 228 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbols, “sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
54	2016	11	THE UTTAR PRADESH HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2016	In section 8,- in sub-section (3), for the words, figures and symbols, “sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> and for the words, figures and symbols, “sections 193 and 228 of the Indian

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Penal Code”, the words, figures and symbols, “sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
55	2016	16	THE UTTAR PRADESH PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS ACT, 2016	In section 14,- in sub-section (1), for the words, figures and symbols, “the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbols, “the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
56	2018	31	SHRI KASHI VISHWANATH SPECIAL AREA DEVELOPMENT BOARD VARANASI ACT, 2018	In section 24,— for the words, figure and symbol " section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)", the words, figures and symbol "clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
57	2018	42	THE ATAL BIHARI VAJPAYEE MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH ACT, 2018	(A) In section 9,- in sub-section (3), for the words, figures and symbol, “sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbol, “sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> and for the words, figures and symbol, “sections 193 and 228 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbol, “sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 52,- for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbol, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
58	2018	41	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ACT, 2015	In section 41,- in sub-section (3), for the words, figures and symbols, “section 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbol, “sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> and for the words, figures and symbol, “sections 193 and 228 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbol, “sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023(Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
59	2019	13	THE UTTAR PRADESH GROUND WATER(MANAGEMENT AND REGULATION) ACT, 2019	In section 22,- for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbol, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
60	2020	6	THE MAHAYOGI GURU GORAKHNATH UNIVERSITY GORAKHPUR ACT, 2020	(A) In section 9,- In sub-section (3) for the words, figures and symbol, “sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973”, the words, figures and symbol, “sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> and for the words, figures and symbol, “sections 193 and 228 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbol, “sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 52,- for the words, figures and symbol, “section 21 of the Indian Penal Code”, the words, figures and symbol, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
61	2020	17	THE UTTAR PRADESH PUBLIC HEALTH AND EPIDEMIC DISEASES CONTROL ACT, 2020	(A) In section 2,- for sub-section (2), following sub-section (2) shall be <i>substituted</i> , namely:- “(2) words and expressions used herein and not defined but defined in the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023), the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act no. 3 of 1897), Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023) and the Disaster Management Act, 2005 (Act no. 53 of 2005), shall have the meaning respectively assigned to them in such Acts.”
				(B) In section 10, - for the words, figures and symbols, “Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974)”, the words, figures and symbols, “Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
				(C) In section 22, - In sub-section 2, for the words, figures and symbols, “section 320 of I.P.C.” the words, figures and symbols, “section 116 of Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023) shall be <i>substituted</i> .
				(D) In section 30, - for the words, figures and symbols. “Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974)”, the words, figures and symbols, “Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
62	2021	28	THE UTTAR PRADESH VINDHYA DHAM TEERTHVIKAS PARISHAD ACT, 2021	In section 38,- for the words, figures and symbol, “section 21 of the Indian Penal Code, (Act no. 45 of 1860)”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 (Act No. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63	2021	29	THE UTTAR PRADESH SHREE CHITRAKOOT DHAM TEERTH VIKAS PARISHAD ACT, 2021	In section 38,- for the words, figures and symbol, "section 21 of the Indian Penal Code, (Act no. 45 of 1860)", the words, figures and symbol, "clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
64	2022	16	THE UTTAR PRADESH FIRE AND EMERGENCY SERVICES ACT, 2022	(A) In section 35,- for the words, figures and symbols, "section 176 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)", the words, figures and symbols, "section 211 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 62,- for the words, figures and symbols, "section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)", the words, figures and symbols, "clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
65	2022	17	THE UTTAR PRADESH SHREE NAIMISHARANYA DHAM TEERTH VIKAS PARISHAD ACT, 2022	In section 38,- for the words, figures and symbols, "section 21 of the Indian Penal Code (Act no. 45 of 1860)", the words, figures and symbols, "clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
66	2022	2	THE BHATKHANDE SANSKRITI VISHWAVIDYALAYA ACT, 2022	In section 8,- (A) in sub-section (3), for the words, figures and symbols "sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974)", the words, figures and symbols, "sections 384 and 385 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)" and for the words, figures and symbols, "sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)", the words, figures and symbols, "sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .
				(B) In section 38,- in sub-section (3), for the words, figures and symbols, "sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974)", the words, figures and symbols, "sections 526 and 528 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023)" and for the words, figures and symbols, "sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)", the words, figures and symbols, "sections 229 and 267 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be <i>substituted</i> .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
67	2023	22	THE UTTAR PRADESH INLAND WATERWAYS AUTHORITY ACT, 2023	In section 36,- for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)”, the words, figures and symbol, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
68	2023	23	THE UTTAR PRADESH SHREE AYODHYA JEE TEERTH VIKAS PARISHAD ACT, 2023	In section 38,- for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code (Act no. 45 of 1860)”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
69	2023	24	THE UTTAR PRADESH SHREE DEVIPATAN DHAM TEERTH VIKAS PARISHAD ACT, 2023	In section 38,- for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
70	2023	25	THE UTTAR PRADESH SHREE SHUK TEERTH VIKAS PARISHAD ACT, 2023	In section 38,- for the words, figures and symbols, “section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)”, the words, figures and symbols, “clause (28) of section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .
71	2024	12	THE UTTAR PRADESH LIFTS AND ESCALATORS ACT, 2024	In section 12,- in sub-section (5) for the words, figures and symbols, “section 176 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860)”, the words, figures and symbols, “section 211 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023)” shall be <i>substituted</i> .

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.